International Journal of Humanities and Education Research

ISSN Print: 2664-9799
ISSN Online: 2664-9802
Impact Factor: RJIF 8.2
IJHER 2023; 5(1): 25-28
www.humanitiesjournal.net
Received: 25-12-2022
Accepted: 31-01-2023

शोभा कुमारी
(M.A. Sociology) ग्राम – डुमरी, पो०– श्रीरामपुर, थाना – अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
शोभा कुमारी
(M.A. Sociology) ग्राम – डुमरी, पो०– श्रीरामपुर, थाना – अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

लिंग भेद का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव : एक अध्ययन

शोभा कुमारी

DOI: https://dx.doi.org/10.33545/26649799.2023.v5.i1a.40

प्रस्तावना

प्राचीन काल से हीं बालिकायें, किशोरियाँ, युवतियाँ, प्रौढाएँ, वृद्धायें केवल इस आधार पर भेदभाव का शिकार होती आ रही हैं क्योकि वे स्त्री है। प्रत्येक समाज, देश, काल, गाँव–शहर, घर–परिवार, स्कूल–कॉलेज, मंदिर– मस्जिद में ऐसा होता है और हो रहा है। यह कटू सत्य है कि एक महिला माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु शय्या तक लिंग आधारित भेदभाव की शिकार है। गर्भ परीक्षण में गर्भस्थ शिशु लडकी होने पर उसका गर्भपात करा दिया जाता है, गर्भवती माँ की यथोचित देखभाल नही की जाती, जीवित पैदा होने पर उसकी हत्या करने के मामले सामने आते है, पुत्री जन्म पर किसी प्रकार का समारोह आदि आयोजित नही किया जाता, लडकियों के जन्मदिन नही मनाये जाते, अपर्याप्त सुख–सुविधाओं में उनका लालन–पालन किया जाता है, लडकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान व उनकी उपेक्षा की जाती है, किशोरावस्था में उन्हे अपनी पंसद की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाता है, उन्हें अपनी पसंद का खेल खेलने से रोका जाता है उनके घर के बाहर जाने पर पाबंदियाँ होती है, शारीरिक रूप से परिपक्व हुये बिना ही उनके विवाह कर दिये जाते है। लडकियों को अपनी पसंद का वर चुनने की स्वतंत्रता नही होती है, सभी प्रकार से योग्य होते हुये भी उनके विवाह में दहेज देना पडता है, समाज में विधवा पुनर्विवाह का अभाव है, उन्हे सती होने के लिये प्रेरित किया जाता है, उन्हे पति व पिता की सम्पत्ति से वंचित किया जाता है, घर के निर्णयों में उन्हे सहभागी नही बनाया जाता है, विवाह के बाद उन्हे रोजगार छोडने के लिये विवश किया जाता है, पति की आज्ञापालन न करने पर उन्हें हिंसा एवं उत्पीडन का शिकार –होना पड़ता है, वृद्धावस्था में उन्हे वृद्धाश्रम में छोड दिया जाता है, ये महिलाओं के विरूद्ध होने वाले वे भेदभाव है जिनका आधार सिर्फ और सिर्फ उनका स्त्री होना है।

शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव : शिक्षा वह हथियार है जिसके माध्यम से महिलाऐं अपने विरूद्ध होने वाले भेदभाव का डटकर सामना कर सकती है। शिक्षा महिलाओं को यह बताती है कि उसके क्या अधिकार हैं, शिक्षा महिलाओं को उसके जीवन में आने वाले हर भेदभाव से लड़ने के लिए सशक्त करती है, यह महिलाओं में उत्तरदायित्व उठाने एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है, यह उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है एवं राष्ट्र विकास में सहभागी । यदि महिला शिक्षित होगी तो वह घर परिवार की जिम्मेदारियों में बराबर का सहयोग प्रदान कर सकती है लेकिन शायद पुरुष प्रधान सोच को यह स्वीकार नहीं है।

इसलिए 6 दशकों से महिला साक्षरता पुरुषों की तुलना में न्यून रही है। वर्तमान समय में 82 प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा केवल 65 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। यही नहीं उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 44.2 प्रतिशत है जबकि पुरुषों का नामांकन 55.7 प्रतिशत है 16 देश में 6 से 11 साल उम्र के करीबन 12 करोड़ 50 लाख बच्चे हैं उनमें स्कूल न जाने वाले लड़कों का अनुपात जहाँ 14 फसदी है वही लड़कियों का अनुपात 18 फीसदी भारत में 2.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाये। इसमें 1.5 करोड़ लड़कियाँ है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा अनुपात लड़कियों का ही है। यह अनुपात 64 फीसदी है। 25 वर्ष के ऊपर की केवल 26.6 प्रतिशत लड़कियाँ हायर सैकेण्ड्री पास है जबकि लड़के 50.4 प्रतिशत। यह स्थिति तब है जब भारत में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित हुए कई वर्ष बीत चुके हैं नीति निर्देशक तत्त्व के माध्यम से भी राज्य का शिक्षा का संवर्धन करने का दायित्व है। 8 इसके बावजूद महिला शिक्षादर पुरुषों की अपेक्षा कम है जो शिक्षा संबंधी भेदभाव को स्पष्ट परिलक्षित करती है।

देशभर में लडकियों का गिरता हुआ साक्षरता अनुपता यह दर्शाता है कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता।

जन सामान्य की यह धारणा रहती है कि लड़की का उत्तरदायित्व केवल घरेलू कार्य करना है जिसके लिए औपचारिक शिक्षा की क्या आवश्यकता। उसकी वास्तविक शिक्षा तो सिलाई बुनाई करना, घर संवारना, बच्चों का लालन पोषण, पति की सेवा करना, रसोई संभालना है। इन कार्यों में दक्षता ही उसके जीवन का उद्देश्य है इसी बजह से अधिकांश परिवार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में रूचि नहीं दिखाते। उनका मानना है कि लड़कियों को घर से बाहर स्कूल जाने की बजाय गृह कार्यों में मदद करनी चाहिए। इसलिए महिलाऐं पुरुषो की अपेक्षा कम शिक्षित है। रूढ़ीवादी सामाजिक धारणा के अनुसार घरेलू कार्यों के लिए शिक्षा का क्या फायदा, उल्टा इससे योग्य वर ढूंढने एवं दहेज की समस्या उत्पन्न होगी। दहेज स्त्री शिक्षा के मार्ग में एक बड़ा बाधक तत्त्व है। लोग यह सोचते हैं कि लड़की के विवाह में दहेज तो देना ही पड़ेगा तो उसकी उच्च शिक्षा पर खर्च करने का क्या फायदा शिक्षा एवं साक्षरता में अंतर किये जाने पर यह तथ्य वास्तविक सा प्रतीत होता है। उच्च शिक्षित महिलाओं के लिए वर की तलाश और अधिक दहेज की माँग के कारण लोग लड़कियों को केवल साक्षर एवं हायर सैकेण्ड्री या स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाकर वर की तलाश में जुट जाते हैं। आजकल उच्च शिक्षा रोजगारोन्मुख न होने के कारण भी महिलाओं के लिए उत्साह वर्धक नहीं है। लोगों की परम्परागत सोच और सुदृढ़ हो रही है कि जब घरेलू कार्य और बच्चों का पालन पोषण ही करना है तो इसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर शीघ्र विवाह करना ही अच्छा विकल्प है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह सोच लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद ही क्रियात्मक रूप लेने लगती है। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं को प्रदान किये गये शिक्षा अधिकार, लागू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति एवं महिला शिक्षा की वास्तविक हकीकत में व्यवहारिक अंतर है। महिला संबंधी शिक्षा आंकड़े कागजों पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते तो नजर आते हैं लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और है गरीबी, महिलाओं को गृह शोभा समझने की सामाजिक सोच, पुरुष प्रधान समाज, सामाजिक परम्पराऐं, स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षण संस्थानों की कमी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा, महिलाओं के शैक्षणिक विभेद के प्रमुख कारण है बड़े दुख की बात है कि जो महिला पुरुष की अद्धांगनी है, उसी महिला को पुरूष अपनी अनुचरिका समझता है तथा यही घृणित सामाजिक सोच उसे सदैव पुरुषों के आधीन रखना चाहती है। यह पुरुष प्रधान समाज नहीं चाहता कि जो स्त्री उसकी दासी है वह ज्ञान प्राप्त कर उसके समकक्ष आये क्योंकि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों की माँग करेगी जो पुरुष दम्भ को स्वीकार नहीं है। इसलिए कभी धन के नाम पर कभी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, कभी सामाजिक रूढ़ियों के नाम पर उसे शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता है और यही शैक्षणिक भेदभाव नारी के विभिन्न सामाजिक दुखों का कारण बनता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में यह लिंग भेद महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक है। जिसका निराकरण परम आवश्यक है।

सन्तान उत्पत्ति में भेदभाव : भारतीय समाज में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक भेदभाव के अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें सबसे निकृष्ट और घृणित रूप है कन्या भ्रूण हत्या। यह महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की पराकाष्टा है इस कृत्य की निरंतरता मध्ययुग से प्रारम्भ होकर अनवरत चालू है अंतर सिर्फ इतना है कि पहले कन्या शिशु की हत्या जन्म के बाद होती थी क्योंकि उस समय अल्ट्रा साउण्ड एवं सोनोग्राफी जैसी अत्याधुनिक मशीनों का आभाव था लेकिन वर्तमान में इसकी सहज उपलब्धता के माध्यम से कन्या भ्रूण की गर्भ में ही जांच कराकर हत्या कारित कर दी जाती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मुख्य कारण है पुत्र की चाह । भारत में बालिकाओं के प्रति सदियों से यह धारणा रही है कि, वे परिवार के लिए एक अनावश्यक बोझ होती है क्योंकि विवाह उपरांत वे पराई हो जाती है जबकि लड़का जन्म लेने पर वंश को आगे बढ़ाता है और प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने पर परिवार का आधार या पोषणकर्ता बन जाता है। जीवित पैदा हुई लड़कियों की संख्या लड़को की संख्या से तुलना करने पर कम है। मादा भ्रूण का गर्भपात एवं जन्म के बाद पैदा हुई लड़कियों को उपेक्षित कर मरने के लिए छोड़ देना इस विषमता की मुख्य वजह है भारत में प्रति एक हजार पुरुषों पर 940 महिलाऐं है लेकिन पंजाब, जम्मू कशमीर, हरियाणा में यह अनुपात क्रमशः 895, 889, 879 है जो राष्ट्रीय अनुपात से भी कम है। अल्ट्रासाउण्ड, सोनोग्राफी जैसी गर्भ परीक्षण करने वाली मशीनों के माध्यम से लिंग आधारित चयनित गर्भपात कन्या भ्रूण हत्या के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनो ही इससे अछूते नही है। इसी कारण भारत मे । पिछले तीन दशकों में लगभग 1 करोड़ से अधिक कन्या भ्रूणों का गर्भपात किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर रोज 2000 कन्या भ्रूणों का गर्भपात गैर कानूनी तरीके से किया जाता है13 और एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 सालों में लगभग 15 लाख लड़कियों को जन्म ही नहीं लेने दिया गया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति के अनुसार ऐशियाई देशों विशेषकर भारत एवं चीन में 11 करोड़ 70 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई। भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 12 लाख गर्भपात होते हैं जिनमें से 67 लाख स्वाभाविक न होकर प्रेरित होते है जो बालिका भ्रूण हत्या के निमित्त किये जाते हैं। लिंग आधारित गर्भपात को 1994 में कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी अल्ट्रा साउण्ड मशीनों का इस हेतु प्रयोग धड़ल्ले से जारी है। अल्ट्रा साउण्ड सेंटर का कार्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना है लेकिन यह लिंग परीक्षण में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जिस कारण आज के दौर में ए.के. –47 से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हो गये है जो प्रतिदिन हजारों मासूम बेटियों का कोख में कत्ल करा देते हैं। कानून एवं प्रशासन के द्वारा भी इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सका है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयास, 08 मार्च को महिला दिवस घोषित करने के उपरांत कन्या शिशुओं की स्थिति में आपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर नही है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या या लिंगानुपात में विषमता कई कारणों का मिश्रित परिणाम है। जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को स्वंय से संबंधित विषयों जैसे यौन संबंध, संतानोत्पत्ति, विवाह के बारे में निर्णय की स्वतंत्रता नही है यहाँ पितृसत्तात्मक समाज का आज भी बोलबाला है चाहे सम्पत्ति का अधिकार हो या वंश चलाने का या दाहसंस्कार का या दहेज का या बुढापे के सहारे का हर जगह सामाजिक परम्पराऐं पुरुषों के साथ खड़ी नजर आती है। कानून व्यवस्था लचर है प्रशासन एवं पुलिस तंत्र लापरवाह एवं भ्रष्ट है। जिससे अपराधियों के हौंसले बढ़ते है और अपराध का ग्राफ भी । सरकार द्वारा जो योजनाऐं बनाई गई है वे अप्रभावी हैं और अधिकांश योजनाऐं कागजों तक ही सीमित है। साथ ही समाज में प्रचलित मान्यताऐं, कुप्रथाओं का काम कर रही हैं। बेटी को परायाधन मानना, दहेज रूपी बोझ के रूप में देखना, वंश चलाने की चाह में बेटो को प्राथमिकता, कन्या भ्रूण हत्या की प्रमुख वजह है। आज हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ लड़कियाँ वे सब कार्य करने में सक्षम है जो लड़के कर सकते है। जहाँ तक बुढ़ापे के सहारे की बात है तो बच्चियाँ लड़कों से कहीं अधिक समर्पित हैं। कुत्सित सामाजिक मान्यताओं को त्याग कर उन्हें दुर्बल एवं वस्तु समझने की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा एवं सरकारी नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित कर भ्रष्टाचार को समाप्त कर हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और वास्तविक रूप से महिला सशक्तिकरण में सहयोग कर सकते है।

राजनैतिक क्षेत्र में भेदभाव : राजनीति सत्ता की चाबी है जिसके माध्यम से देश रू का संचालन किया जाता है एवं राष्ट्र के संबंध में योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है यह विकास का माध्यम एवं शक्ति का केन्द्र है, इस केन्द्र के पीछे जनता का संम्बल है और इस जनता में आधे की भागीदार नारी है, किन्तु विडम्बना की बात है कि वही इस राजनीति में उपेक्षा एवं भेदभाव की शिकार है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम्भ भरते हैं जिसका मतलब है जनता का शासन, लेकिन इसी लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में अल्प है, क्या हम ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं? जब देश के लोकतंत्र एवं राजनीति में ही उसको बराबर का भागीदार नहीं बनाया गया है तो समाज में बराबरी का दर्जा कैसे सम्भव है। राजनैतिक सहभागिता के प्रश्न पर महिलाओं को घर से लेकर बाहर तक विभिन्न भेदभावों का सामना करना पडता है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को राजनीति में देखना ही नहीं चाहता वह उसके मत का प्रयोग तो करना चाहता है लेकिन समान भागीदारी को नकारता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपना वर्चस्व छिन जाने का भय है। यही कारण है कि संसद एवं विधानसभाओं में महिला भागीदारी को लेकर वह ईमानदार नहीं है और इन सदनों में महिला आरक्षण को लेकर एक मत नहीं है। पिछले 14 सालों में यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ससंद एवं विधानसभाओं में महिला संख्या में उत्रोत्तर इजाफा हो जायेगा । महिलाओं को राजनीति में बढ़ा हिस्सा मिलने से बड़े–बड़े राजनीतिज्ञों के साथ सामन्ती मानसिकता वाले पुरुषों में भी खलबली है क्योंकि इसमें रोटेशन व्यवस्था के तहत संसदीय क्षेत्र बदलता रहेगा। ऐनकेन निर्वाचन क्षेत्र में एकाधिकार जमाऐ राजनितिज्ञों को अपनी सीट से वंचित होने की भारी आशंका है। इसलिए वे इसके विरोध में अनेक तर्क देते हैं। कभी वे इस आरक्षण के अंदर दलित, पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के आरक्षण की अर्थात् कोटे के अंदर कोटा देने की बात करते हैं तो कभी इस आरक्षण के प्रतिशत को कम करने की बात करते हैं। यानि कैसे भी इस आरक्षण को टाला जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि भारत की महिलाऐं राजनीति में लिंगभेद की शिकार है यही बजह है कि संसद एवं विधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि को लेकर किये गये समस्त प्रयास विफल रहे हैं। यदि आरक्षण व्यवस्था को ही महिला सशक्तिकरण का एक मात्र विकल्प माना जाये तो यह गलत है क्योंकि हमारे सामने पंचायत एवं नगरीय निकायों में महिला आरक्षण का अनुभव सामने हैं 28 कि किस प्रकार पुरुषों द्वारा महिला आरक्षण का प्रयोग अपने हित में किया गया है जिस कारण पंचपति और सरपंच पति जैसी उपाधियाँ देखने को मिली है। आरक्षण से इन निकायों में महिला भागीदारी तो सुनिश्चित हुई है किन्तु केवल शारीरिक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने में आज भी वे सक्षम नही है एवं पुरुषों के आधीन है। चुनाव जीतने के बाद उनकी सक्रियता निर्वाचन क्षेत्र में आज भी नही है। उन्हें केवल माध्यम की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव : आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक भेदभाव एवं असमानता एक प्राचीन एवं ज्वलंत समस्या है। विश्व जनसंख्या में लगभग आधे की भागीदार महिला आबादी आज भी आर्थिक रूप से उपेक्षित है। विश्व में किये जाने वाले कुल कार्यों में महिला श्रम की भागीदार 66 प्रतिशत है। विश्व के कुल 50 प्रतिशत खाद्य उत्पाद, उनके द्वारा बनाये जाते हैं लेकिन विश्व आय में उसकी भागीदारी मात्र 10 प्रतिशत है एवं विश्व की कुल सम्पत्ति में से केवल 1 प्रतिशत ही उनके हिस्से में है। महिलाओं की समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद उनका आर्थिक पिछड़ापन लैंगिक भेदभाव का प्रतीक है। भारत में यह स्थिति और भी चिंताजनक है। भारतीय महिलाऐं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छोटी बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पुरुषों पर निर्भर है जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण वह रूढी वादी पारम्परिक सोच है जिसके तहत महिला का कार्य केवल घर की देखभाल करना एवं बच्चों का लालन पालन करना है। यही बजह है कि ज्यादातर भारतीय परिवारों में उनके शिक्षा एवं रोजगार को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती। घर में बच्चों की तुलना में बच्चियों के साथ किया जाने वाला यही लिंग आधारित भेदभाव उनकी आर्थिक पराधीनता की पृष्ठ भूमि तैयार करता है जो उसके सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है।

विवाह के संबंध में भेदभाव : विवाह जीवन का एक महत्त्वपूर्ण विषय है इसके बिना जीवन पूर्ण नहीं माना जाता किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय महिलाऐं इस क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव व असमानत का शिकार है। आधुनिक काल में प्रवेश कर गये भारतीय समाज में स्त्रियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नही है। यह कार्य परिवार के वयस्क पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है लेकिन वहीं लड़कों को इस संबंध में छूट प्रदान की गई है। जीवन साथी चुनने में भेदभाव वेमेल विवाह की समस्या को जन्म देता है। कई बार लड़कियों का विवाह अनउपयुक्त लड़कों से करवा दिया जाता है जब वर एवं वधू मानसिक धरातल पर एक होने में असमर्थ हों, उनमें वैचारिक भिन्नता हो, शिक्षा के स्तर एवं सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में अंतर हो तो उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता ऐसी स्थिति में स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण में भेदभाव : भारतीय महिलाऐं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पुरुषों से पिछड़ी हुई है। महिलाओं के कुपोषण एवं गिरते हुए स्वास्थ्य के पीछे सबसे बड़ा कारण है लैंगिक भेदभाव। शिक्षा की ही भांति भारत में महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य समस्या का कारण भी सामाजिक–सांस्कृतिक अधिक है। सामान्यतः खानपान में पुत्रों की अपेक्षा पुत्री की उपेक्षा की जाती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े हुए शहरी क्षेत्रों में यह सोच है कि बचा हुआ भोजन लड़कियों और महिलाओं के लिए है व उन्हें सबसे बाद में भोजन खाना चाहिए और जो मिल गया उसी में संतोष कर लेना चाहिए यह लिंग भेदीय सोच महिला स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप कई बार उनके भोजन में वे पोषण तत्त्व पूर्ण नही हो पाते जो उनके स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है।[8] यहां तक कि गर्भधारण काल में भी महिलाएँ पौष्टिक आहार से उपेक्षित रहती है जिसके परिणामस्वरूप कुपोषित माता कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। घर में पिता एवं अन्य वयस्कों द्वारा महिला एवं बच्चियों की देखभाल के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार एक बहुत बड़ा कारण है जिस बजह से विश्व में अन्य जगहों की अपेक्षा भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या कहीं अधिक है। यदि हम बाल्यकालीन कुपोषण के प्रतिशत को लेकर दक्षिण ऐशिया की तुलना अफ्रीका से करें तो ऐशिया बाल्कालीन कुपोषण को लेकर काफी दयनीय स्थिति में हैं सीधे तौर पर यही तथ्य ऐशिया में महिलाओं की कमजोर आवाज, स्वतंत्रता और भ्रमण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अफ्रीका की तुलना में दक्षिण एशिया में लाखों की तादाद में ऐसी महिलाऐं है जिन्हें स्वंय के एवं अपने बच्चों के बारे में क्या बेहतर निर्णय हो सकते हैं इसकी समझ ही नहीं है। यहां महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने, खुद के विचार व्यक्त करने और आत्म निर्भरता के अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण ऐशिया में महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान नही दिया जाता यही बजह है कि विश्व में अन्य कहीं की अपेक्षा कुपोषित महिलाओं की संख्या यहाँ अधिक है।

संदर्भ

1. Status women Education in India Dr- Jitendra Kumar IJEPR, 2(4) Apr 2013 ISSN: 2320-009X.
2. महिलाओं का उच्च शिक्षा में नामांकन यू.जी. सी. की वार्षिक रिपोर्ट 2013
3. Census of India, 2011, Office of the Register General India; c2011 Apr.
4. Jha PR, Kumar P, Vasa, Dhingra N, et al, low male to female sex ratio of children born in Inda: National Survey of 1.1 million house holds, lancet 367, 211-18 www.home office. Govt. of U.K.
5. Bhalla N. Rise in India Female foeticide may spark crisis; c2007 Aug 8. retrieved 10 Feb. 2012 from Reuters: http://www-reuters-com
6. Patnaik P. India census reveals -A Glaring Gap: Girls retrieved 31 January 2012 the guardian; c2011 May 25: http://www-guardian-co-uk//global development-
7. समाजशास्त्र, प्रो. एम. एल. गुप्ता, डॉ. डी. डी. शर्मा, पेज नं. 117. प्रथम संस्करण, वर्ष 2009, प्रकाशन साहित्य भवन आगरा
8. महिला आरक्षण विधेयक तथ्य और चुनौतियाँ, गिरीशचन्द्र पाण्डेय, पेज नं. 502 अक्टूबर 2010 (प्रतियोगिता दर्पण) उपकार प्रकाशन
9. According to United Nations Development (U.N.D.P.) Report; c2010.
10. भारतीय समाज, डॉ. अशोक डी पाटिल, डॉ. एस.एस. भदौरिया, तृतीय संस्करण, वर्ष 2002, पृ.सं. 139. प्रकाशन हिन्दी ग्रंथ अकादमी